सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–4 (1) (बी) के अन्तर्गत निर्धारित विन्दुवार सूचना

(i) अपने संगठन, कार्यो तथा कर्तव्यों के विवरण:

उत्तर प्रदेश पिछड़ी जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 की स्थापना शासनादेश संख्या–3459/26–3–89–9(51)/89, दिनांक 20 सितम्बर, 1989 द्वारा की गयी तथा उत्तर प्रदेश पिछड़ी जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 का लिमिटेड कम्पनी के रूप में निगमन कम्पनी रजिस्ट्रार, उत्तर प्रदेश, कानपुर के प्रमाण–पत्र संख्या–20–13091/91, दिनांक 26 अप्रैल, 1991 द्वारा कराया गया था। कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 2 के निबन्धन में दिनांक 26 मार्च, 1997 को विधिवत पारित विशेष संकल्प और केन्द्र सरकार का लिखित में संज्ञापित अनुमोदन जो उसको कम्पनी निबन्धक, उत्तर प्रदेश के प्रमाण पत्र संख्या–13091/558, दिनांक 30.6.1997 से प्रदत्त किया गया है, उक्त कम्पनी नाम उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लि0 में परिवर्तित हो गया है। उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लि0 में प्रबन्ध निदेशक जो विभागाध्यक्ष हैं, उनके अधीन मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, कम्पनी सचिव, प्रोजेक्ट मैनेजर एवं अन्य सहायक स्टाफ कार्यरत है। निगम का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत् हैः–

अध्यक्ष
|
प्रबन्ध निदेशक
|
वरिष्ठ लेखाधिकारी

प्रोजेक्ट मैनेजर — कम्पनी सचिव

निगम मुख्यालय

1– अनुभाग अधिकारी		1
2– वरिष्ठ लिपिक		1
3– सहायक लेखाकार	1	
4– लेखा परीक्षक		1
5– कम्प्यूटर प्रोग्रामर कम आपरेटर		1
6– आषुलिपिक	2	
7– कनिष्ठ लिपिक/टंकक		1
8– वाहन चालक		2
9– चपरासी		4
10–चौकीदार		2
11–स्वीपर (अंशकालिक)		1
योगः	**17**	

निगम का जनपद स्तर पर अपना कोई स्टाफ तैनात नहीं है। योजनाओं का क्रियान्वयन जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी जिन्हें शासन द्वारा निगम का पदेन जिला प्रबन्धक नामित किया गया है के द्वारा जनपद के जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी की देख–रेख में किया जाता है।

उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लि0 की स्थापना का उद्देश्य, कार्यो तथा कर्तव्यों का विवरण निम्नवत् हैः–

उद्देश्यः

उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लि0 की स्थापना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में गरीबी/दोहरी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अधिसूचित अन्य पिछड़े वर्गो के बेरोजगार युवक/युवतियों को शिक्षा तथा विभिन्न व्यवसाय/उद्यम/उद्योग स्थापित करने हेतु आसान ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराकर उन्हें सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है।

संचालित ऋण योजनायें:

उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लि0, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली की कार्यकारी शाखा (चैनलाइजिंग एजेंसी) के रूप में कार्यरत है। निगम द्वारा राष्ट्रीय निगम से आसान ब्याज दर पर ऋण प्राप्त कर निम्नलिखित योजनायें संचालित की जा रही हैः–

(क) सावधि ऋण योजना (टर्म लोन स्कीम)

1–सामान्य ऋण योजना (जनरल लोन स्कीम),
2–नई स्वर्णिमा योजना (न्यू स्वर्णिमा स्कीम),
3–शिक्षा ऋण योजना (एजूकेशन लोन स्कीम)

(ख) सूक्ष्म वित्त योजना (माइक्रो फाइनेंस स्कीम)

1–सूक्ष्म वित्त योजना (माइक्रो फाइनेंस स्कीम)
2–महिला समृद्धि योजना (महिला समृद्धि स्कीम)
3–लघु ऋण योजना (स्माल लोन स्कीम)
4–एनबीएफआई–एमएफआई ऋण योजना (एनबीएफआई–एमएफआई लोन स्कीम)

(1) सामान्य ऋण योजना (जनरल लोन स्कीम)

इस योजना के अन्तर्गत कृषि, दस्तकारी, पारंपरिक व्यवसाय, तकनीकी व्यवसाय, लघु एवं कुटीर उद्योग तथा अन्य सामान्य व्यवसायों हेतु ऋण दिया जाता है। सामान्य ऋण योजना (जनरल लोन स्कीम) के अन्तर्गत परिवहन व सेवा क्षेत्र जैसे विभिन्न क्षेत्रों में आय सृजित करने वाले कार्यकलापों के लिए ऋण सहायता उपलब्ध करायी जाती । इस योजना की महत्वपूर्ण विषेशताऐं निम्नवत् हैंः–

1–ऋण की सीमाः	रू0 15.00 लाख तक प्रति लाभार्थी।	
2–ऋण अदायगी की सीमाः	अधिकतम 8 वर्श (96 माह)	
3–वित्तीय पद्धतिः	1–राश्ट्रीय निगम अंष,	85 प्रतिषत।
	2–निगम अंषः	10 प्रतिषत।
	3–लाभार्थी अंषः	5 प्रतिषत।
4–ब्याज दर (वार्षिक):	1–रू0 5.00 लाख तक के ऋण पर	6 प्रतिषत।
	2–रू0 5.00 लाख से अधिक तथा रू0 10.00 लाख तक के ऋण पर	7 प्रतिषत।
	3–रू0 10.00 लाख से अधिक तथा रू0 15.00 लाख तक के ऋण पर	8 प्रतिषत।

(2) <u>नई स्वर्णिमा योजना (न्यू स्वर्णिमा स्कीम</u>):

अन्य पिछड़े वर्ग की गरीबी रेखा/दोहरी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही महिलाओं में आत्मनिर्भरता की भावना जागृत करने हेतु निगम द्वारा उनके लिए नई स्वर्णिमा योजना (न्यू स्वर्णिमा स्कीम) संचालित की गयी हैं। इस योजना की महत्वपूर्ण विषेशताऐं निम्नवत् हैः–

1–ऋण की सीमाः	रू0 2.00 लाख अधिकतम।	
2–ऋण अदायगी की सीमाः	अधिकतम 8 वर्श (96 माह)	
3–वित्तीय पद्धतिः	1–राश्ट्रीय निगम अंष,	95 प्रतिषत।
	2–निगम अंषः	5 प्रतिषत।
	3–लाभार्थी अंषः	0 प्रतिषत।
4– ब्याज दर (वार्षिक):	05 प्रतिषत।	

(3) <u>शिक्षा ऋण योजना (एजूकेशन लोन स्कीम):</u>

निगम द्वारा राश्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम के आर्थिक सहयोग से प्रदेष के अन्य पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों, जो गरीबी रेखा अथवा दोहरी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, को व्यवसायिक, तकनीकी षिक्षण हेतु षैक्षिक ऋण प्रदान किये जाने की योजना संचालित है। योजना की महत्वपूर्ण विषेशताऐं निम्नवत् हैः–

1–पात्रताः

छात्र/छात्रा द्वारा अखिल भारतीय तकनीकी षिक्षा परिशद (ए0आई0सी0टी0ई0), भारतीय चिकित्सा परिशद, यू0जी0सी0 आदि जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त किया होना चाहिए तथा योग्यता परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंश होने चालिए।

2–ऋण की सीमाः

1–भारत में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को अधिकतम रु0–15.00 लाख अथवा जो कम हो।
2–विदेष में अध्ययनरत छात्र/छात्रों को अधिकतम रू0 20.00 लाख अथवा जो कम हो।
3–ऋण अदायगी की सीमाः अधिकतम 15 वर्श (बैकिंग पद्धति के अनुसार) ।

3–वित्तीय पद्धतिः

	भारत में अध्यनरत	विदेष में अध्यनरत
1–राश्ट्रीय निगम अंष,	90 प्रतिषत	85 प्रतिषत
2–निगम अंषः	05 प्रतिषत	10 प्रतिषत
3–लाभार्थी अंषः	05 प्रतिषत	5 प्रतिषत

4–ब्याज दर (वार्षिक):

4 प्रतिषत वार्षिक (महिला अभ्यर्थियों को 3.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर)

<u>नोटः–जिला प्रबन्धकों को यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि वे शिक्षा ऋण स्वीकृत/प्रदान करने से पूर्व शिक्षण संस्थान, संस्थान की गुणवत्ता और पाठ्यक्रम से संबद्धता के सम्बन्ध में और संस्थान में प्लेसमेन्ट के पिछले रिकार्ड की उचित जांच करें। उक्त के अतिरिक्त पाठ्यक्रम के लिए योग्यता परीक्षा में 50 प्रतिशत न्यूनतम अंक निर्धारित किए गये हैं, परन्तु सीमित धनराशि की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए यह वांछनीय है कि ऋण वितरण में ऐसे मेधावी एवं योग्य छात्रों/छात्राओं को प्राथमिकता दी जाये, जो रोजगार पाने व ऋण चुकाने की सम्भावना रखतें हैं।</u>

(4) सूक्ष्म वित्त योजना (माइक्रो फाइनेंस स्कीम)

इस योजना के अन्तर्गत अन्य पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों के स्व–सहायता समूह (एस0एच0सी0) विशेष रूप से लक्षित समूह के मिश्रित समूहों को ऋण स्वीकृत किए जाने का प्राविधान है। इस योजना की महत्वपूर्ण विषेशताऐं निम्नवत् हैं:–

1–ऋण की सीमाः	रू0 1.25 लाख अधिकतम प्रति लाभार्थी तथा अधिकतम रू0 15.00 लाख प्रति समूह।	
2–ऋण अदायगी की सीमाः	अधिकतम 4 वर्श (48 माह)	
3–वित्तीय पद्धतिः	1–राश्ट्रीय निगम अंष,	90 प्रतिषत।
	2–निगम अंषः	05 प्रतिषत।
	3–लाभार्थी अंषः	5 प्रतिषत।
4– ब्याज दर (वार्षिक):	5 प्रतिषत।	

(5) महिला समृद्धि योजना (महिला समृद्धि स्कीम):

इस योजना के अन्तर्गत अन्य पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों को लघु उद्योग स्थापित करने हेतु ऋण स्वीकृत किए जाने का प्राविधान है। इस योजना की महत्वपूर्ण विषेशताऐं निम्नवत् हैं:–

1–ऋण की सीमाः	रू0 1.25 लाख अधिकतम प्रति लाभार्थी, तथा अधिकतम रू0 15.00 लाख प्रति समूह।	
2–ऋण अदायगी की सीमाः	अधिकतम 4 वर्श (48 माह)	
3–वित्तीय पद्धतिः	1–राश्ट्रीय निगम अंष,	95 प्रतिषत।
	2–निगम अंषः	05 प्रतिषत।
	3–लाभार्थी अंषः	00 प्रतिषत।
4– ब्याज दर (वार्षिक):	4 प्रतिषत।	

(6) लघु ऋण योजना (स्माल लोन स्कीम):

इस योजना के अन्तर्गत अन्य पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों को लघु व्यवसाय स्थापित करने हेतु ऋण स्वीकृत किए जाने का प्राविधान है। इस योजना की महत्वपूर्ण विषेशताऐं निम्नवत् हैं:–

1–ऋण की सीमाः	रू0 1.25 लाख अधिकतम प्रति लाभार्थी,	
2–ऋण अदायगी की सीमाः	अधिकतम 8 वर्श (96 माह)	
3–वित्तीय पद्धतिः	1–राश्ट्रीय निगम अंष,	85 प्रतिषत।
	2–निगम अंषः	10 प्रतिषत।
	3–लाभार्थी अंषः	5 प्रतिषत।
4– ब्याज दर (वार्षिक):	6 प्रतिषत।	

(7) एनबीएफआई–एमएफआई ऋण योजना (एनबीएफआई–एमएफआई लोन स्कीम):

इस योजना के अन्तर्गत अन्य पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों एवं उनके द्वारा संचालित स्वयं सहायता समूहों को ऋण स्वीकृत किए जाने का प्राविधान है। इस योजना की महत्वपूर्ण विषेशताऐं निम्नवत् हैं:–

1–ऋण की सीमाः	रू0 1.25 लाख अधिकतम प्रति लाभार्थी, तथा अधिकतम रू0 15.00 लाख प्रति समूह।	
2–ऋण अदायगी की सीमाः	अधिकतम 4 वर्श (48 माह)	
3–वित्तीय पद्धतिः	1–राश्ट्रीय निगम अंष,	90 प्रतिषत।
	2–निगम अंषः	5 प्रतिषत।
	3–लाभार्थी अंषः	5 प्रतिषत।
4– ब्याज दर (वार्षिक):	12 प्रतिषत।	

चिन्हित योजनाओं की सूची निम्नवत् है:–

क0सं0	परियोजना का नाम	अधिकतम परियोजना लागत (रूपये में)
1–	खाद की दुकान	80000.00
2–	बैलगाड़ी	20000.00
3–	मिनी राइस मिल	250000.00
4–	गुड़ कोल्हू	90000.00
5–	फल/सब्जी की दुकान	30000.00
6–	बीज/कीटनाशक दवा की दुकान	40000.00
7–	कृषि यंत्र की दुकान	30000.00
8–	आलू प्रसंस्करण	200000.00
9–	बार्बर शाप टाईप ''ए''	50000.00
10–	बार्बर शाप टाईप ''सी''	20000.00
11–	घड़ी मरम्मत की दुकान	40000.00
12–	इलेक्ट्रानिक सेल/मरम्मत की दुकान	70000.00
13–	ट्रैक्टर मरम्मत की दुकान	20000.00
14–	रेस्टोरेन्ट	100000.00
15–	रेडियो/टी0वी0 मरम्मत की दुकान	20000.00
16–	स्कूटर/मोटर साइकिल मरम्मत की दुकान	40000.00
17–	टायर मरम्मत की दुकान	15000.00
18–	पी0सी0ओ0/आई0एस0डी0	70000.00
19–	फ्रिज/ए0सी0 मरम्मत की दुकान	80000.00
20–	ढाबा/मेस	30000.00
21–	टेन्ट हाउस	90000.00
22–	साइकिल/रिक्शा मरम्मत की दुकान	20000.00
23–	टेलरिंग शाप	30000.00
24–	पान की दुकान	20000.00
25–	बकरी पालन	30000.00
26–	आटा चक्की	40000.00
27–	मिल्क प्रोसेसिंग	60000.00
28–	फोटोकापीयर की दुकान	110000.00
29–	जनरल स्टोर	30000.00
30–	कालीन बुनाई	24000.00
31–	कपड़े की दुकान	40000.00
32–	रेडीमेड गारमेन्ट्स	40000.00
33–	डेरी उद्योग	40000.00
34–	बान/मूंज	40000.00
35–	दाल मिल	50000.00
36–	चूड़ी की दुकान	40000.00
37–	स्टेशनरी की दुकान	40000.00
38–	मेडिकल स्टोर	60000.00
39–	स्टील आलमारी/लोहे की दुकान	70000.00
40–	कपड़ा फेरी	20000.00
41–	सन्दूक निर्माण	50000.00
42–	बुक बाइण्डिंग	40000.00

43—	लेथवर्क / लोहारीगीरी	40000.00
44—	गेट / ग्रिल	50000.00
45—	मिठाई की दुकान	40000.00
46—	मशाला उद्योग	50000.00
47—	मीट शाप	30000.00
48—	सोनारी की दुकान	80000.00
49—	हार्डवेयर / पेन्ट्स की दुकान	40000.00
50—	किताब की दुकान	40000.00
51—	मोटर बोट परियोजना	95000.00
52—	जीप / टैक्सी परियोजना	345000.00

नोटः उक्त परियोजनायें व परियोजना लागत केवल उदाहरण स्वरूप हैं। आवेदक उक्त के अतिरिक्त अन्य किसी भी परियोजना का चयन अपनी सुविधा के अनुसार करके लाभ प्राप्त कर सकता है।

ऋण हेतु पात्रताः

उत्तर प्रदेष पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लि0 द्वारा संचालित उक्त योजनाओं से लाभ प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित व्यक्ति पात्र होगें :—

(1) जो उत्तर प्रदेष राज्य का मूल निवासी हो,

(2) जिन्होने 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो, परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे आवेदकों के प्रार्थना पत्र पर वरीयता के आधार पर पहले विचार किया जिसने राजकीय सेवा हेतु अधिकतम आयु पूर्ण कर ली हो अर्थात राजकीय सेवा हेतु अधिकतम आयु के आधार पर अर्ह न हो, परन्तु अधिकतम 40 वर्ष से अधिक न हों,

(3) जो बेरोजगार हो और जीवन यापन का कोई साधन उसके पास न हो,

(4) उत्तर प्रदेष सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य पिछड़े वर्ग का सदस्य हो,

(5) कम से कम स्नातक स्तर की शैक्षिक अर्हता (सामान्य / तकनीकी) वाले अभ्यर्थियों को ऋण प्रदान किए जाने में वरीयता दी जायेगी,

(6) संबंधित व्यवसाय / उद्योग में तकनीकी जानकारी / अनुभव प्राप्त व्यक्ति को वरीयता दी जायेगी,

(7) जिसकी / परिवार की वर्तमान में समस्त श्रोतों से वार्षिक आय शहरी / ग्रामीण क्षेत्र में रूपये 3. 00 लाख तक हो परन्तु कम से कम 50 प्रतिषत ऐसे व्यक्तियों को लाभान्वित किया जायेगा जिनकी / उनके परिवार की वार्शिक आय रू0 1.50 लाख तक है।

आवेदन पत्रः

ऋण प्राप्त करने हेतु निर्धारित प्रारूप पर आवेदन करना होगा। आवेदन पत्र प्रत्येक जनपद के जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी पदेन जिला प्रबन्धक, उ0प्र0 पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लि0 के कार्यालय अथवा निगम मुख्यालय से निःषुल्क प्राप्त किया जा सकता है। ऋण हेतु आवेदन पत्र संबंधित जनपद के जिला प्रबन्धक कार्यालय में समस्त वांछित अभिलेखों के साथ जमा किया जाना होगा।

जाति एवं आय प्रमाण—पत्रः

जाति एवं आय प्रमाण—पत्र राजस्व विभाग के ऐसे अधिकारी जो तहसीलदार स्तर से कम न हों, द्वारा जारी किया गया ही मान्य होगा। यही अधिकारी सक्षम अधिकारी घोशित हैं।

जिला चयन समिति:

निगम की योजनाओं के अन्तर्गत लाभार्थी पहचान एवं चयन हेतु जिलाधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा किया जाता है। गठित जिला चयन समिति निम्न प्रकार हैः—

1—जिलाधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी	अध्यक्ष
2—मण्डलीय उपनिदेषक, पिछड़ा वर्ग कल्याण	उपाध्यक्ष
3—निगम मुख्यालय द्वारा नामित एक गैर सरकारी सदस्य	सदस्य
4—लीड बैंक अधिकारी	सदस्य
5—जिला समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य
6— जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास)	सदस्य
7—जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी	सदस्य सचिव

ऋण की अदायगी:

ऋण की अदायगी योजना में निर्धारित समयावधि में की जायेगी। नियमित ऋण की अदायगी न करने पर 6 प्रतिषत वार्शिक ब्याज दर से दण्ड ब्याज चार्ज किया जायेगा।

ऋण का उपयोगः

लाभार्थी द्वारा प्राप्त ऋण का उपयोग यदि उस कार्य हेतु नहीं किया जाता है, जिसके लिए ऋण प्राप्त किया गया है तो ऋण की धनराषि पर 12 प्रतिषत वार्शिक ब्याज दर से ब्याज चार्ज किया जायेगा तथा बकाया धनराषि एकमुष्त वसूल की जायेगी।

बकाया ऋण की वसूलीः

ऋण गृहीता द्वारा ऋण का भुगतान न करने की दषा में बकाया ऋण की वसूली उत्तर प्रदेष लोकधन (देयों) की वसूली अधिनियम—1972 के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी द्वारा वसूली प्रमाण—पत्र (आर0सी0) जारी कर, किए जाने का प्राविधान है।

अनुदानः

निगम द्वारा राष्ट्रीय निगम के सहयोग से संचालित उपरोक्त योजनाओं में कोई अनुदान की सुविधा प्रदान नही की जाती है।

(ii) अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के अधिकार तथा कर्तव्यः

उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लि0 द्वारा संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु जनपद स्तर पर निगम का अपना कोई स्टाफ कार्यरत नहीं है। उत्तर प्रदेश शासन, पिछड़ा वर्ग कल्याण अनुभाग—1 के शासनादेश संख्या—943/64—1—96—54/96, दिनांक 27 सितम्बर, 1996 द्वारा जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी को निगम का पदेन जिला प्रबन्धक नामित किया गया है। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी द्वारा निगम की योजनाओं का क्रियान्वयन अपने स्टाफ के माध्यम से किया जा रहा है। प्रदेश के मण्डलों में पर्यवेक्षण हेतु विभाग में उपनिदेशक तैनात है, जिन्हें उत्तर प्रदेश शासन, पिछड़ा वर्ग कल्याण अनुभाग—1 के शासनादेश संख्या—35/64—1—05—54/96, दिनांक 10 जनवरी, 2005 द्वारा निगम का पदेन मण्डलीय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लि0 नामित किया गया है, के द्वारा निगम की संचालित योजनाओं का पर्यवेक्षणीय कार्य सम्पादित किया जा रहा है।

(iii) निर्णय लेने में अपनायी जाने वाली प्रकिया, इसके अन्तर्गत पर्यवेक्षण और जवाबदेही के स्रोत भी सम्मिलित हैं:

उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लि0 के कार्यकलापों, स्थापना सम्बन्धी प्रकरणों आदि में शासन द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों, शासनादेशों तथा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों एवं निगम के निदेशक मण्डल के निर्णयों के आलोक में निर्णय लेने की प्रकिया अपनायी जाती है। योजनाओं के पर्यवेक्षण हेतु मण्डलीय उपनिदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण जिन्हें शासन द्वारा निगम का मण्डलीय प्रबन्धक नामित किया गया

है के द्वारा एवं योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी जिन्हें शासन द्वारा निगम का पदेन जिला प्रबन्धक नामित किया गया है की जवाब देही होती है।

(iv) अपने कर्तव्यों के सम्पादन हेतु अपनाया जाने वाला मापदण्डः

उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लि0 की संचालित योजनाओं/क्रियाकलापों एवं अन्य कार्यो को निगम कार्मिकों द्वारा अपने कार्य सम्पादन हेतु निर्धारित दिशा निर्देशों, शासनादेशों में अपनायी जाती है।

(v) अपने कर्तव्यों के निर्वहन हेतु कर्मचारी द्वारा प्रयुक्त अपने नियंत्रणाधीन नियमों, विनियमों, निर्देशों, निर्देशिकाओं तथा अभिलेखोंः

उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लि0 कार्मिकों द्वारा निगम के संगम ज्ञापन एवं संगम अनुच्छेद (मेमोरेण्डम एण्ड आर्टिकिल्स आफ एसोशिएसन), उत्तर प्रदेश शासन तथा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली द्वारा समय समय पर निर्गत शासनादेशों/दिशा निर्देशों के अधीन कार्यवाही की जाती है।

(vi) अपने द्वारा धारित या अपने अधीन अभिलेखों की कोटियों का विज्ञापनः

उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लि0 को शासन से वेतन अथवा भत्तों हेतु कोई आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं होती है। निगम द्वारा अपना प्रतिवर्ष आन्तरिक बजट तैयार कर उसे निगम के निदेशक मण्डल से स्वीकृत कराकर तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही की जाती है। निगम के बजट में विज्ञापन मद में प्राप्त आय के अनुसार बजट की व्यवस्था की जाती है।

(vii) कोई प्रबन्ध जो कि परामर्श के लिए अस्तित्व में है, या जिसके द्वारा प्रत्यावेदन किया जाता है, वे लोग जो कि इसके नीति निर्धारण या प्रवर्तन में भाग लेगें, का विवरणः

उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लि0 के संगम ज्ञापन एवं संगम अनुच्छेद (मेमोरेण्डम एण्ड आर्टिकिल्स आफ एसोशिएसन) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निदेशक मण्डल का गठन किया गया है। निगम के महत्वपूर्ण/कार्यकलापों को निदेशक मण्डल से अनुमति प्राप्त कर तद्नुसार कार्यवाही की जाती है।

(viii) बोर्डो, परिषदों, समितियों और अन्य निकाय जो कि दो अथवा दो से अधिक व्यक्तियों से इसके भागरूप में गठित है या इसके सलाह के लिए, का विवरण और उन बोर्डो, परिषदों, समितियों और अन्य निकाय जो लोगों के लिए खोले गये है या बैठकों की संक्षिप्त रिपोर्ट जो लोगों की पहुंच के अधीन होगें का विवरणः

उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लि0 द्वारा संचालित योजनाओं/कार्यक्रमों के अन्तर्गत लाभान्वित किए जाने वाले अन्य पिछड़े वर्ग के बेरोजगारों को चयनित किये जाने हेतु उत्तर प्रदेश शासन, पिछड़ा वर्ग कल्याण अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–242/64–2–98–1(215)/97, दिनांक 28 फरवरी, 1998 द्वारा निम्न प्रकार लाभार्थी चयन समिति का गठन किया गया हैः–

1–जिलाधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी	अध्यक्ष
2–मण्डलीय उपनिदेषक, पिछड़ा वर्ग कल्याण	उपाध्यक्ष
3–निगम मुख्यालय द्वारा नामित एक गैर सरकारी सदस्य	सदस्य
4–लीड बैंक अधिकारी	सदस्य
5–जिला समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य
6– जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास)	सदस्य
7–जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी(पदेन जिला प्रबन्धक)	सदस्य सचिव

उक्त कमेटी द्वारा नियमों/दिशा निर्देशों के अन्तर्गत पात्र अन्य पिछड़े वर्ग के बेरोजगारों को शैक्षिक ऋण एवं स्वतः रोजगार हेतु ऋण स्वीकृत किया जाता है।

(ix) अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिकाः

उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लि0 में शासन द्वारा स्वीकृत पद एवं स्वीकृत पद के सापेक्ष कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण निम्नवत् हैः—

1— प्रबन्ध निदेशक	01	(रिक्त) (निदेषक, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को अतिरिक्त प्रभार)
2— वरिष्ठ लेखाधिकारी	01	(रिक्त) (मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को अतिरिक्त प्रभार)
3— प्राजेक्ट मैनेजर	01	(रिक्त)
4— कम्पनी सचिव	01	(अंशकालिक)
5— अनुभाग अधिकारी	01	(रिक्त)
6— वरिष्ठ लिपिक	01	(वाह्य सेवा एजेंसी)
7— कम्प्यूटर प्रो0 कम आपरेटर	01	(रिक्त)
8— सहायक लेखाकार	01	(वाह्य सेवा एजेंसी)
9— लेखा परीक्षक	01	(रिक्त)
10—आशुलिपिक	02	
11—कनिष्ठ लिपिक/टंकक	01	(रिक्त)
12—वाहन चालक	02	
13—चपरासी	04	
14—चौकीदार	02	
15—स्वीकपर (अंशकालिक)	01	
योगः	**21**	

(x) अपने प्रत्येक अधिकारियों व कर्मचारियों को प्राप्त मासिक वेतन/पारितोषिक, इसके अन्तर्गत प्रतिकर का ढंग जो कि विनियमों द्वारा उपबंधित है, भी सम्मिलित हैः

उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लि0 में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित वेतनमानों में अधिकारियों व कर्मचारियों को मासिक वेतन का भुगतान किया जाता है, जिसमें मूलवेतन, मंहगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता तथा चिकित्सा भत्ता आदि सम्मिलित होता है।

(xi) अपने प्रत्येक अभिकरणों का बजट जो उनसे सम्बन्धित है, जिसमें सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्यय और किये गये भुगतानों का विवरणः

उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लि0 से संबंधित नहीं।

(xii) उपदान कार्यक्रम के निष्पादन का ढंग, जिसके अन्तर्गत धन का विवरण तथा हिताधिकारियों का विवरण जो ऐसे कार्यक्रम से सम्बद्ध होगें, का विवरणः

उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लि0 द्वारा संचालित योजनाओं/कार्यक्रमों में सब्सिडी (अनुदान) की कोई सुविधा नहीं है।

(xiii) अपने द्वारा अनुदत्त छूटों अधिकार पत्रों अधिकृतियों के प्राप्तकर्ताओं का विवरणः

उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लि0 द्वारा के अन्तर्गत ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, जिस पर छूट प्रदान की जाये।

(xiv) अपने द्वारा प्रदान की गयी सूचना या प्रदान न की गयी सूचना, इलेक्ट्रानिक प्रारूप में निबद्ध की गयी सूचना का विवरणः

उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लि0 द्वारा संचालित योजनाओं/कार्यक्रमों आदि से संबंधित विवरण पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लि0 की वेबसाइट (नचचअअअदण्वतहण्पद) पर अपलोड करा दी गयी है।

(xv) सूचना प्राप्त करने के हेतु नागरिकों को उपलब्ध सुविधाएॅं, इसके अन्तर्गत पुस्तकालय के कार्य की अवधि या अध्ययन–कक्ष, अगर लागों के प्रयोग के लिए है, का विवरणः

पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं/कार्यक्रमों की जानकारी हेतु प्रतिवर्ष नागरिक चार्टर का प्रकाशन किया जाता है, जिसमें उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लि0 द्वारा संचालित योजनाओं/कार्यक्रमों का विस्तृत विवरण भी सम्मिलित होता है। उक्त नागरिक चार्टर जन सामान्य की सुविधा हेतु निदेशालय/निगम/मण्डल/जनपद कार्यालयों में देखने हेतु उपलब्ध रहती है। निगम में अभी कोई पुस्तकालय स्थापित नहीं है, जिसका प्रयोग जन सामान्य द्वारा अध्ययन कक्ष के रूप में प्रयोग किया जा सके।

(xvi) लोक सूचना अधिकारी का नाम, पद तथा विवरणः

उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लि0 में श्री अखिलेष कुमार सोनकर, मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी को जनसूचना अधिकारी नामित किया गया है, जिनका कार्यालय दूरभाष संख्या–0522–2980546 है। जनपद स्तर पर जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी जिन्हें शासन द्वारा निगम का पदेन जिला प्रबन्धक नामित किया गया है, जनसूचना अधिकारी नामित हैं।

(xvii) ऐसे अन्य सूचना जो विहित की जाये, और तद्नुसार इन प्रकाशनों को प्रत्येक वर्ष अपडेट करेगाः

पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं/कार्यक्रमों की जानकारी हेतु प्रतिवर्ष नागरिक चार्टर का प्रकाशन किया जाता है, जिसमें उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लि0 द्वारा संचालित योजनाओं/कार्यक्रमों का विस्तृत विवरण भी सम्मिलित होता है। उक्त नागरिक चार्टर को प्रत्येक वर्ष अपडेट किया जाता है।

———————